राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः एफ.6(29)नविवि/3/2004पार्ट जयपुर,दिनांकः– 13-05-2017

परिपत्र

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र संख्या प. 6(19)नविवि/89 दिनांक 21.09.1999 एवं प. 7(11)नविवि/14 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा निजी खातेदारों से समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदारों/भू–स्वामियों को उनकी अवाप्ताधीन भूमि के एवज में क्रमशः 15 प्रतिशत एवं व 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्तानुसार विकसित भूमि उन्हीं खातेदारों को दी जावेगी जिन खातेदारों द्वारा समय पर विकल्प दिया गया है।

भूमि अवाप्ति के कई प्रकरणों में अभी भी खातेदारों को मुआवजा का भूगतान नही होने के कारण संस्थाओं को अवाप्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नही हो पा रहा है तथा इस कारण योजनाओं का क्रियान्वयन नही हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नही ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायलय में जमा है ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.09.2017 तक रहेगी, जो निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन होगाः–

1. दिनांक 27.10.2005 से पूर्व के जारी अवार्ड में भूमि के बदले विकसित भूमि 15 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पूर्व प्रकरणों में अन्य के समान अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.09.2017 रहेगी।
2. दिनांक 27.10.2005 के पश्चात जारी अवार्ड में भूमि के बदले विकसित भूमि 25 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पश्चात के प्रकरणों में अन्य खातेदारों के समान अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने बाबत विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.09.2017 रहेगी।
3. जिन योजनाओं की क्रियान्वति नही हुई क्योंकि खातेदार से कब्जा नही लिया गया है एवं जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठाई है उन्हीं को केवल विकल्प का मौका दिया जावेगा।
4. नवीन विकल्प के तहत विकसित भूमि देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि अवाप्ताधीन भूमि की विधिवत रूप से प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड/न्यास द्वारा कब्जा लिया गया है। यदि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो संबंधित काश्तकारों द्वारा उसे प्रत्याहारित (withdraw) करने के बाद ही विकसित भूमि दी जावें।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अभ्यावेदन पत्र का निस्तारण कर राज्य सरकार को अवगत करवायेगें तथा अस्वीकृति के प्रकरणो में ठोंस कारण सहित राज्य सकार को 15 दिवस में अवगत करवायेगें।

आज्ञा से,

13/5/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम